न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारी अश्विन के पंवार(आर.ए.एस.)

राजस्व अपील संख्या 62 / 2022

अपीलकर्ता	बनाम	उत्तरदातागण
भल्लाराम पुत्र दुर्गाराम जाति जाट निवासी खीपली खेड़ा पटवार मण्डल मूल की ढाणी तहसील कल्याणपुर		1. ओमाराम पुत्र अनूपाराम 2. जसाराम पुत्र अमराराम 3. भंवरीदेवी पत्नि अमराराम जाति जाट निवासी खीपली खेड़ा पटवार मण्डल मूल की ढाणी तहसील कल्याणपुर 4. तहसीलदार, कल्याणपुर जिला बालोतरा

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश क्रमांकः भू.अ. / 2021 / 1135 तहसीलदार कल्याणपुर द्वारा अपीलांट व उत्तरदाता संख्या 1 से 3 की सयुक्त खातेदारी की भूमि को विभाजित करने हेतु दिनांक 25.11.2021 को पारित किया।

उपस्थितिः–

1. श्री अचलाराम थोरी वकील अपीलान्ट
2. श्री रूघाराम कड़वासरा वकील उत्तरदाता सं. 01

निर्णय

दिनांक 06.09.2023

अपीलान्ट की अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट व उत्तरदातागण सं. 1 से 3 के सयुक्त खातेदारी खेत खसरा नम्बर 1202 व 1048 संयुक्त रकबा 44–10 बीघा सरहद मौजा खीपली खेड़ा पटवार मण्डल मूल की ढाणी तहसील कल्याणपुर जिला बालोतरा में आई हुई है। अपीलान्ट व उत्तरदाता सं. 1 ता 3 ने विभाजन प्रस्ताव तैयार कर विभाजन करवाने हेतु तहसीलदार, कल्याणपुर के समक्ष पेश किया गया। खेत खसरा नम्बर 1048 का विभाजन पक्षकारान के मौके पर कब्जे काश्त के अनुसार सही किया गया है। जिसमें अपीलान्ट को कोई उजर ऐतराज नहीं है, परन्तु खेत खसरा नम्बर 1202 रकबा 30–12 बीघा का विभाजन पक्षकारान के मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार नहीं कर गलत कर दिया गया। जिसकी जानकारी तत्समय अपीलान्ट को नहीं हो सकी। इस विभाजन में खेत खसरा नम्बर 1202 के संबंध में तैयार नक्शें का ज्ञान अपीलान्ट को पूर्व में नहीं हुआ तथा वर्तमान में उत्तरदाता संख्या 1 द्वारा सड़क पर स्थित भूमि पर जबरन कब्जा करने का प्रयास किया जाने लगा तब जिस पर उत्तरदाता सं. 1 ने मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार काश्त नहीं कर वर्तमान नक्शें में की गई तरमीम के अनुसार कब्जा करने हेतु कहा गया जिस पर अपीलान्ट को तरमीम के बारे में संशय पैदा हुआ तब रेकर्ड की जांच करने पर जानकारी हुई। अपीलाधीन विभाजन खसरा नम्बर 1202 में पक्षकारान के मौके पर भौतिक कब्जे काश्त के अनुसार नहीं है बल्कि अच्छी किस्म की भूमि सडक पर स्थित भूमि पर की गई तरमीम की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 05.01.2022 को नकले प्राप्त हुई जिस पर सम्यक तत्परता के साथ अपील पेश की गई। विलम्ब को क्षमा करने हेतु प्रार्थना–पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम का मय शपथ पत्र साथ में पेश किया गया। अन्त में निवेदन किया गया कि अपीलान्ट की अपील को म्याद शुमार कर स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.11.2021 को निरस्त कर पुनः नये सिरे से पक्षकारान के माफिक मौके पर कब्जे काश्त अनुसार विभाजन किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

अपीलान्ट की अपील को दर्ज कर उत्तरदातागण को सम्मन जारी किये गये। उत्तरदाता संख्या 1 की और जवाब पेश किया गया।

Asf

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बालोतरा

विद्वान अधिवक्तागण की बहस को सुना गया, बहस के दौरान अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया गया कि विभाजन मौके पर कब्जे काश्त अनुसार नहीं करने एवं अच्छी किस्म की भूमि सड़क पर स्थित भूमि उत्तरदाता सं.1 के द्वारा गलत तरमीम के आधार पर प्राप्त कर अपीलान्ट के कब्जे की भूमि को प्राप्त करने का प्रयास किया गया है। इसलिए अपीलान्ट की अपील को म्याद शुमार कर स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.11.2021 को निरस्त कर पुनः नये सिरे से पक्षकारान के माफिक मौके पर कब्जे काश्त अनुसार विभाजन किये जाने का आदेश फरमाने का निवेदन किया गया।

इसके विपरित के विद्वान अधिवक्ता उत्तरदाता संख्या 1 की और से निवेदन किया गया कि अपीलाधीन भूमि को दिनांक 01.11.2021 को अपीलान्ट से उत्तरदाता ने सड़क पर स्थित भूमि को सह प्रतिफल पंजीकृत दस्तावेज करा कर प्राप्त की गई, बैचान दस्तावेज के पेज संख्या 5 में अंकित नजरी नक्शें के नाप मुताबिक ही विभाजन प्रस्ताव आपसी सहमति से तैयार कर प्रस्तुत किया गया, उसी मुताबिक राजस्व रेकर्ड लठ्ठा ट्रेस में तरमीम सही की गई है। अपीलान्ट के द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर उत्तरदाता संख्या 1 को केवल परेशान करने की नियत से ही अपील प्रस्तुत की गई है। इसलिए अपीलान्ट की अपील को अस्वीकार कर खारिज करने का निवेदन किया गया।

पत्रावली का हमने अवलोकन किया गया बाद अवलोकन यह पाया गया कि दिनांक 01.11.2021 को अपीलान्ट से उत्तरदाता ने सडक पर स्थित भूमि को सह प्रतिफल पंजीकृत दस्तावेज करा कर प्राप्त की गई, बैचान दस्तावेज के पेज संख्या 5 में अंकित नजरी नक्शें के नाप मुताबिक ही विभाजन प्रस्ताव आपसी सहमति से तैयार कर प्रस्तुत किया गया, उसी मुताबिक राजस्व रेकर्ड लठ्ठा ट्रेस में तरमीम सही प्रतीत होती है। तहसीलदार, कल्याणपुर द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में किसी प्रकार की त्रुटि प्रतीत नहीं होने से इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट के द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत अपील आधारहीन एवं सारहीन होने अस्वीकार कर खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 06.09.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अश्विन के. पंवार)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बालोतरा
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बालोतरा